**प्रेस विज्ञप्ति**
**10.09.2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत उप आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सुरेश जगुभाई पटेल एवं अन्य के केस में दिनांकः 08.09.2026 को दमन तथा वलसाड (गुजरात) में स्थित 17 अचल संपत्तियों को, जिनकी कुल कीमत लगभग 6.52 करोड़ रुपये है, अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी द्वारा जांच दमन पुलिस, गुजरात पुलिस तथा मुंबई पुलिस द्वारा श्री सुरेश पटेल उर्फ सुखा एवं उसके सहयोगियों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार, अवैध आग्नेयास्त्र (फायरआर्म) रखने, हत्या, जबरन वसूली, जालसाजी, पासपोर्ट जालसाजी तथा कॉपीराइट उल्लंघन आदि विभिन्न अपराधों के आरोप लगाए गए थे।

ईडी की जांच से पता चला कि श्री सुरेश जगुभाई पटेल ने अपने प्रतिद्वंदी व्यापारियों को समाप्त करके तथा धमकियों, भयादोहन, बाहुबल और अपने आपराधिक रिकॉर्ड से उत्पन्न आतंक के माध्यम से दमन में कबाड़ व्यापार एवं परिवहन सेवाओं के व्यवसाय पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। इसके अतिरिक्त, इस मामले में अभियोजन शिकायत संख्या 10/2024 दिनांक 27.11.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), दमन के समक्ष श्री सुरेश जगुभाई पटेल, उनके सहयोगी श्री महेश नंदा एवं अन्य के विरुद्ध दायर की गई थी।

इस मामले में पूर्व में तलाशी कार्यवाही के दौरान 2.90 करोड़ रुपये की नकदी एवं बैंक शेषराशि को जब्त/फ्रीज किया गया था। इसके अतिरिक्त, दमन एवं मुंबई में स्थित 4.42 करोड़ रुपये मूल्य की 24 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था तथा नई दिल्ली स्थित माननीय निर्णयन प्राधिकारी, पीएमएलए द्वारा विधिवत पुष्टि की गई थी। अब तक कुल 13.85 करोड़ रुपये मूल्य की चल/अचल संपत्तियां जब्त/कुर्क/फ्रीज की जा चुकी हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।